

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2026
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

2026. डा. के. लक्ष्मणः
श्री मिथलेश कुमारः
डा. कल्पना सैनीः
श्री नारायण कोरागप्पाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस योजना के लिए आबंटित बजट में से कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ के लिए पात्र था। जिन कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो दिया और 30.09.2020 तक किसी भी ईपीएफ कवर प्रतिष्ठान में शामिल नहीं हुए, वे भी लाभ के लिए पात्र थे।
- भारत सरकार ने दो वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी निधि संगठन पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार क्षमता के आधार पर देय अंशदान के कर्मचारी हिस्से (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता के हिस्से (मजदूरी का 12%) अथवा केवल कर्मचारी के हिस्से दोनों को जमा किया था।
- यह योजना दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुई थी और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण 31.03.2022 तक खुला था। दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहा।

दिनांक 31.03.2024 तक, 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,188.50 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और लाभार्थियों की जिला-वार संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध I से II में दिया गया है।

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा (31.03.2024 तक)

| राज्य का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
|----------------------------------|--------------------------------|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 479 |
| आंध्र प्रदेश | 166930 |
| अरुणाचल प्रदेश | 514 |
| असम | 19918 |
| बिहार | 28576 |
| चंडीगढ़ | 13474 |
| छत्तीसगढ़ | 85105 |
| दिल्ली | 227076 |
| गोवा | 20948 |
| गुजरात | 591126 |
| हरियाणा | 400760 |
| हिमाचल प्रदेश | 83382 |
| जम्मू और कश्मीर | 19384 |
| झारखंड | 62776 |
| कर्नाटक | 485462 |
| केरल | 96343 |
| लद्दाख | 190 |
| लक्षद्वीप | 9 |
| मध्य प्रदेश | 205901 |
| महाराष्ट्र | 978836 |
| मणिपुर | 1698 |
| मेघालय | 1224 |
| मिजोरम | 377 |
| नागालैंड | 226 |
| ओडिशा | 89360 |
| पुदुचेरी | 14746 |
| पंजाब | 222363 |
| राजस्थान | 326998 |
| सिक्किम | 4008 |
| तमिलनाडु | 804738 |
| तेलंगाना | 283362 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 52911 |
| त्रिपुरा | 5440 |
| उत्तर प्रदेश | 433724 |
| उत्तराखंड | 93521 |
| पश्चिम बंगाल | 227402 |
| सकल योग | 6049287 |

स्रोत: ईपीएफओ, एमओएलई

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|--|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| विशेषज्ञ सेवाएँ | 2153007 |
| सड़क मोटर परिवहन | 37967 |
| क्वार्टर खदानें | 3090 |
| विनिर्माण, विपणन सेवा, कंप्यूटर के उपयोग में संलग्न प्रतिष्ठान | 99435 |
| पेट्रोलियम नैट.गैस शोधन | 2667 |
| लोहा और इस्पात | 61142 |
| विद्यालय | 64347 |
| यात्राभिकरण | 11330 |
| कागज के सामान | 19296 |
| सीमेंट | 3762 |
| मिश्रित वृक्षारोपण | 465 |
| अग्नि कार्य | 2095 |
| फ़िल्म स्टूडियो | 101 |
| पूर्वावलोकन थिएटरों सहित सिनेमाघर | 709 |
| फिल्म निर्माण चिंता | 983 |
| पत्थर के पात्र पाइप | 570 |
| संगमरमर की खदानें | 429 |
| लागत - कार्य लेखाकार | 796 |
| वितरण-फिल्म | 305 |
| जूट | 1950 |
| फेरो मैंगनीज | 381 |
| बॉटनिकल गार्डन्स | 421 |
| फेरो क्रोम | 1723 |
| लिनोलियम | 19 |
| एस्बेस्टोस | 306 |
| हीरे की खदानें | 43 |
| बटन | 128 |
| ग्लू और जिलेटिन कारखाने | 56 |
| डोलोमाइट की खदानें | 130 |
| कायनाइट खदानें | 20 |
| क्रोमाइट खदानें | 1020 |
| व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान | 415129 |
| रबर उत्पाद | 38383 |
| होटल | 51220 |
| अस्पताल | 141700 |
| कागज़ | 7379 |
| काँच | 7361 |
| विश्वविद्यालय | 4710 |

जारी...

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|---|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| लौह अयस्क छर्रो | 1060 |
| रोटी | 6605 |
| गैर खाद्य तेल/वसा | 1934 |
| आईएनडीएल. - पावर अल्कोहल | 290 |
| कत्था बनाना | 266 |
| ग्रेफाइट खदानें | 41 |
| अभ्रक खदानें - अभ्रक उद्योग | 807 |
| पत्थर के बर्तन जार | 359 |
| कैल्साइट खदानें | 89 |
| कॉफी बागान | 8200 |
| बैराइट्स खदानें | 11 |
| अभ्रक खदानें | 82 |
| सेनेटरी वेयर | 3156 |
| भवन एवं निर्माण उद्योग | 233819 |
| पेंट्स - वार्निश | 11573 |
| कृषि फार्म | 9476 |
| फल - शाकाहारी. संरक्षण | 8107 |
| निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठान | 8629 |
| ईंटों | 8450 |
| 5 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सिनेमा थिएटर | 110 |
| लकड़ी मसाला भट्टियाँ | 3225 |
| सोने की खदानें | 644 |
| बीयर एमएफजी | 640 |
| फ्लेवराइट की खदानें | 420 |
| चिप्स बिल्डरों आदि के लिए पत्थर की खदानें। | 1253 |
| रीफ्रैक्टरीज | 4727 |
| अंतर्देशीय जल परिवहन | 613 |
| लिग्नाइट खदानें | 202 |
| कॉफी का इलाज | 180 |
| फेल्डस्पार खदानें | 118 |
| कोरन्डम खदानें | 29 |
| मुद्रण | 12596 |
| प्लास्टिक उत्पाद | 79858 |
| सफाई, सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान | 150115 |
| आसवन - स्पिरिट्स का सुधार | 1746 |
| तम्बाकू उद्योग | 1540 |
| मिट्टी के बरतन | 1260 |
| जूट बेलिंग या प्रेसिंग | 178 |
| जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियाँ | 5248 |

जारी...

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|---|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| गौर गोंद फैक्टरियाँ | 232 |
| चावल मिलिंग | 9481 |
| नगर परिषद/निगम | 4404 |
| छत-फर्श स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदानें | 1749 |
| मछली प्रसंस्करण और मांसाहारी भोजन संरक्षण | 18507 |
| स्टार्च | 982 |
| सिलिका (रेत) की खदानें | 194 |
| एस्बेस्टस खदानें | 56 |
| बॉक्साइट खदानें | 58 |
| मेच | 1173 |
| गन्ने के खेत | 27 |
| इंजीनियर - इंजी. ठेकेदारों | 289062 |
| वस्त्र बनाना | 275620 |
| मैडिकल चिकित्सकों | 11927 |
| ऑटोमोबाइल सर्विसिंग | 50667 |
| अन्य | 213426 |
| वाइंडिंग ग्रेड यार्न रीलिंग | 7144 |
| कैंटीन | 15475 |
| प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां/एएसएससी/क्लब/मंडलियां | 12109 |
| फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएँ | 250 |
| सामान्य बीमा | 7289 |
| विमान या एयरलाइंस की स्थापनाएँ | 176 |
| लकड़ी का प्रसंस्करण एवं उपचार | 1951 |
| मुर्गी पालन | 15865 |
| नाटकीय प्रदर्शन करने वाले थिएटर | 435 |
| खाद्य तेल - वसा | 7867 |
| इलायची के बागान | 231 |
| बीड़ी बनाना | 19326 |
| चूना पत्थर की खदानें | 681 |
| खराब करता | 548 |
| लौह अयस्क खदानें | 778 |
| मैंगनीज खदानें | 65 |
| पिकर | 1174 |
| वकील | 141 |
| पन्ना की खदानें | 225 |
| तम्बाकू की पत्ती का तना निकलना या लाल हो जाना | 24 |

जारी...

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|---|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| गेंद मिट्टी की खदानें | 17 |
| वित्तीय स्थापना | 150210 |
| चर्म उत्पाद | 52410 |
| विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल. वगैरह। | 28031 |
| ब्रश | 488 |
| बिजली (जी,टी,डी) | 7788 |
| आर्किटेक्ट्स | 1665 |
| ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान | 10557 |
| निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां | 6682 |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक। | 7705 |
| लकड़ी की कार्यशाला | 10422 |
| जहाजों का स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग | 4906 |
| टाइल्स | 3490 |
| बिस्किट बनाना | 11961 |
| कपास ओटना - दवाना | 9406 |
| खनिज तेल शोधन | 461 |
| एलएसी/शैलैक | 83 |
| सिलिमिनाइट खदानें | 92 |
| चाय | 4737 |
| कॉयर | 1278 |
| तम्बू बनाना | 574 |
| बर्फ या आइसक्रीम | 1372 |
| एस्वेस्टस सीमेंट शीट | 1079 |
| लकड़ी संरक्षण संयंत्र | 174 |
| काली मिर्च के बागान | 29 |
| फ़ायरक्ले खदानें | 167 |
| चीन की मिट्टी की खदानें | 58 |
| अन्य | 89 |
| अलौह धातु और मिश्र धातु | 19978 |
| अग्नेषण अभिकरण | 7954 |
| रेस्टोरेंट | 42741 |
| पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या जिला | 7758 |
| सोडा वाटर | 2776 |
| कपड़ा | 469295 |
| शोध संस्था | 2791 |

जारी...

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|---|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| उत्पाद | 12502 |
| आवास गृह, सेवा अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम | 7104 |
| चार्टर्ड या पंजीकृत. एकाउंटेंटों | 2189 |
| प्लाईवुड | 12246 |
| दाल मिलिंग | 1557 |
| लाँट्री - लाँट्री सेवाएँ | 1494 |
| हलवाई की दुकान | 16214 |
| चीनी | 7533 |
| रबर के बागान | 514 |
| गन्ने के खेत | 41 |
| प्राणी उद्यान | 337 |
| कपास के कचरे की छँटाई / सफाई / छँटाई | 1760 |
| पशुचारा उद्योग | 8105 |
| विस्फोटक | 2658 |
| नमक | 608 |
| क्वार्ट्साइट खदानें | 8 |
| आरा मिलें | 964 |
| चाय उगाना | 2859 |
| हड्डी कुचलना | 146 |
| इंडिगो | 1518 |
| जिप्सम खदानें | 44 |
| गेरू की खदानें | 706 |
| ईएलईसी, एमईसीएच या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद | 268853 |
| सोसायटी क्लब या एसोसिएशन | 21757 |
| भारी - बढिया रसायन | 54238 |
| आटा पिसाई | 5121 |
| पेट्रोलियम/नैट.गैस उत्पादन | 2576 |
| चुनाव. चीनी मिट्टी के बरतन इन्सुलेटर | 2095 |
| कूरियर सेवाएं प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान | 20501 |
| सोसायटी/क्लब/एसोसिएशन | 3593 |
| काजू | 5746 |
| अगरबत्ती | 4718 |
| स्टेशनरी उत्पाद | 2237 |
| साबुन पत्थर की खदानें | 741 |
| समाचार पत्र प्रतिष्ठान | 1014 |
| रेलवे बुकिंग एजेंसियां | 17 |
| मैग्नेसाइट खदानें | 198 |

जारी...

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

| 31.03.2024 तक एबीआरवाई लाभार्थियों का उद्योग-वार आंकड़ा | |
|---|--------------------------------|
| उद्योग का नाम | लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या |
| वैज्ञानिक संस्थान | 895 |
| कॉलेज | 18131 |
| स्टीटाइट की खदानें | 135 |
| हीरा काटना | 13124 |
| सिगरेट | 138 |
| हरड – शाकाहारी, टेनिंग | 156 |
| फलों के बगीचे | 420 |
| इंडोलियम | 903 |
| निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे | 13 |
| डायमंड साँ मिल्स | 82 |
| अलग खदानें | 4 |

स्रोत: ईपीएफओ, एमओएलई